

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - स. 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/14477-512 दिनांक - 21-7-17

प्रेषित -

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2018 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2018 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नन्द किशोर बालोटिया पुत्र श्री परस राम	कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन जैसलमेर	01.2.58	31.01.2018
2.	श्री ईश्वर दास पुत्र श्री धन्नालाल	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन पाली	02.01.58	31.01.2018
3.	श्री उमेश चन्द वैष्णव पुत्र श्री मुरलीधर वैष्णव	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन अजमेर	5.1.58	31.01.2018
4.	श्री गुलजारी लाल यादव पुत्र श्री मोती लाल	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन अलवर	22.1.58	31.01.2018
5.	श्री नगेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री बनवारी लाल	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन धौलपुर	5.1.58	31.01.2018
6.	श्री सुरेशचंद भट्ट पुत्र श्री आंकारलाल	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन चित्तौड़	2-1-58	31.01.2018
7.	श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री ललिता प्रसाद	लि०ग्रेड प्रथम	सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम	16.1.58	31.01.2018
8.	श्री शिव लहरी विजय पुत्र श्री सूरजमल	लि०ग्रेड प्रथम	सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम	8.1.58	31.01.2018
9.	श्री हीरालाल लाल पुत्र श्री पन्ना लाल	लि०ग्रेड प्रथम	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	2.1.58	31.01.2018
10.	श्री छाजूराम पुत्र श्री कन्हैयालाल	लि०ग्रेड द्वितीय	सहायक निदेशक अभियोजन अलवर	15-1-58	31-1-2018
11.	श्री प्रेमनाथ भटेजा पुत्र श्री प्रकाशचंद	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन श्रीगंगानगर	14-2-58	28.02.2018
12.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री हरि प्रसाद	कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर देहात	02.03.58	31.03.2018
13.	श्री रामेश्वर सांखला पुत्र श्री सत्य नारायण	कार्यालय अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर	11-3-58	31.03.2018
14.	श्री मूलचन्द श्री सुगनचन्द	लि०ग्रेड द्वितीय	सहायक निदेशक अभियोजन सवाई माधोपुर	10-3-58	31-3-2018

15.	श्री लक्ष्मण लाल रेबारी पुत्र वरजाजी	लि०ग्रेड द्वितीय	सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही	13-3-58	31-3-2018
16.	श्री प्रभुलाल कुशवाह पुत्र श्री भौरैलाल	लि०ग्रेड द्वितीय	सहायक निदेशक अभियोजन वारा	02-04-58	30-04-2018
17.	श्री लीलाराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन बून्दी	13.5.58	31.05.2018
18.	श्री अर्जून लाल बुनकर पुत्र श्री बालूराम	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन राजसमन्द	15.5.58	31.05.2018
19.	श्री प्रीतमसिंह पुत्र श्री पूरणसिंह	लि०ग्रेड प्रथम	सहायक निदेशक अभियोजन भरतपुर	15-5-58	31.05.2018
20.	श्री राम प्रसाद बैरवा पुत्र श्री आनि लाल	कार्यालय अधीक्षक	अभियोजन निदेशालय—जयपुर	7-6-58	30.06.2018
21.	श्री हरि चरण गुप्ता पुत्र श्री मदन मोहनगुप्ता	सहा०कार्या० अधीक्षक	सहायक निदेशक अभियोजन सवाई माधोपुर	10.6.58	30.06.2018
22.	श्री पदमाराम पुत्र श्री राजाराम	लि०ग्रेड प्रथम	सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही	01-7-58	30.06.2018
23.	श्री देवकरण पुत्र श्री गोपीलाल	लि०ग्रेड द्वितीय	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	21-6-58	30-6-2018

sd
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

- समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अधूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
- रक्षित पत्रावली।

27/7/17
उप निदेशक अभियोजन (मु.)
राजस्थान जयपुर